न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 56 **दायर दिनांक : 02.05.2017**

1. राजाराम } पुत्रगण श्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी भादवावाली ढ़ाणी
2. कुलदीप } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री बुधराम पुत्र श्री बीरबल जाति बिश्नोई निवासी भादवावाली ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री अमीराम पुत्र श्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी भादवावाली ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमान उपपंजीयक राजस्व तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रार्थी सं. 1
2. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थी सं. 2
3. श्री अजय अरोड़ा, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1, 2
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 07/11/2019**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बताया की प्रार्थीगण की ओर से वाद पत्र घोषणा एवं खाता विभाजन का प्रस्तुत कर रखा है तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थी न. 1 के नाम वाके चक 39 एम.ओ.डी. के खाता न. 91/89 में 26.00 बीघा यानि 6.376 है. भूमि व खाता न. 92/85 में 17.00 बीघा यानि 4.301 है. इस प्रकार कुल 43.00 यानि 10.677 है. खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 39 एम.ओ.डी. के खाता न. 91/89 के पत्थर न. 56/273 में 1.00 बीघा, पत्थर न. 56/274 में 21.00 बीघा, पत्थर न. 57/274 में 4.00 बीघा, कुल 26.00 बीघा यानि 6.376 है. भूमि प्रार्थीगण के दादा स्व. बीरबलराम पुत्र श्री हरदास बिश्नोई की मृत्यू उपरान्त विरास्तन इन्तकाल नं. 95 दिनांक 23.04.1997 को दर्ज हुई। अप्रार्थी न. 1 बुधराम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के पिता है व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 स्व. बीरबलराम के पौत्र है। चक 39 एम.ओ.डी. के खाता सं. 91/89 की 26.00 बीघा भूमि पैतृक खातेदारी भूमि है तथा चक 39 एम.ओ.डी. के खाता न. 92/85 में 17.00 बीघा यानि 4.301 है. प्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य होने से कड़ी मेहनत करके बैयनामां से अप्रार्थी सं. 1 के नाम से खरीद की है। यह तमाम भूमि

लगातार 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

परिवार संयुक्त होने से हिन्दु सहदायी परिवार सम्पत्ति है अप्रार्थी न. 1 बुधराम के नाम से अंकित है जिसे हिस्सानुसार सहदायी सदस्य काश्त कर रहे है यद्यपि भूमि अकेले बुधराम के नाम से अंकित है प्रार्थीगण ने अपने हिस्सा की घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है अप्रार्थी न. 1 ने भी स्वेच्छा से गांव के मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रार्थी सं. 1 राजाराम को 12.13 बीघा व प्रार्थी सं. 2 कुलदीप को 12.13 बीघा भूमि काश्त करने के लिये दे रखी है। अप्रार्थी न. 1 बुधराम अपने तीसरे पुत्र अप्रार्थी सं. 2 अमीराम के साथ रहता है। अप्रार्थी न. 2 अपने हिस्से की भूमि को ठेके पर काश्त करवाता है अब अप्रार्थी न. 2 अमिराम के बहकावें में आकर अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण की कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर सारी 43.00 बीघा तादादी 10.677 है. भूमि बेचान करने पर उतारू है एवं प्रार्थीगण के 2/4 हिस्से को खुर्द बुर्द कर उनके हकों से महरूम करना चाहता है, उक्त जैरवाद भूमि वाके चक 39 एम.ओ.डी. के खाता सं. 91/85 की 17.00 बीघा खातेदारी भूमि को बेचने पर उतारू है। इससे साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी सं. 1 बुधराम अप्रार्थी सं. 2 अमीराम के बहकावें में आकर दोनों खातो की कुल 43.00 बीघा तादादी 10.677 है. भूमि को बेचने को उतारू है। अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और वाद में जारी अनुतोष व डिक्री की पालना असम्भव हो जायेगी इस स्थिति में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की वादग्रस्त भूमि को दौराने वाद अप्रार्थी सं. 1 बजरिये हस्तांतरण, रहन, बैय न करें इस हेतु अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध स्थगन चाहा वाद प्रस्तुत होने पर इकतरफा सुनकर दिनांक 02.05.2017 को अप्रार्थीगण को पाबंध किया गया कि वे चक 39 एम.ओ.डी. के खाता सं. 91/89 में 26.00 बीघा यानि 6.376 है. भूमि व खाता सं. 92/85 में 17.00 बीघा यानि 4.301 है. इस प्रकार कुल 43.00 बीघा यानि 10.677 है. खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के 2/4 हिस्सा तक की भूमि पर मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें साथ ही अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये व जवाब पेश किया, अप्रार्थी सं. 2 ता 3 के खिलाफ इकतरफा के आदेश पारित किये गये व अप्रार्थी सं. 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ, बाद आने जवाब तर्क सुने गये।

प्रार्थीगण के अभिभाषकगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये तर्क दिया की अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम 6.376 है. भूमि पैतृक है शेष भूमि स्वं अर्जित है। प्रार्थीगण का कथन है कि शेष भूमि भी पैतृक भूमि की आय से खरीद की गई है इसलिये वह सहदायी सम्पत्ति की तारीफ में आती है, अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में होगा तब तक वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण होने पर प्रार्थीगण के हितों को नुकसान होगा आदेश व डिक्री की पालना नहीं हो सकेगी शपथ पत्र से प्रार्थीगण का मामला

लगातार 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

प्राथमिक रूप से बनता है, प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से भी दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण उचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थगन आदेश ता फैसला वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की, बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी 2009 पेज 17 व आर.आर. डी. 1993 पेज 206 एवं माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय प्रकाशित आर.आर. टी. 2015 पेज 1182 के न्याय उद्धाहरण पेश किये। अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया की अंकित काश्तकार के विरूद्ध अधिकारों को सीमित करने हेतु निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित नहीं है वर्तमान भूमि अकेले बुधराम के नाम से अंकित है, भूमि सहदायी की तारीफ में नहीं आती है। स्थगन से अंकित काश्तकार के अधिकार सीमित होगें इसलिये प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश निरस्त कर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारों के तर्क सुनने के बाद पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में गहन पठन व मनन किया, संक्षेप में यह स्पष्ट है कि वाके चक 39 एम.ओ.डी. के खाता न. 91/89 में 26.00 बीघा यानि 6.376 है. भूमि व खाता न. 92/85 में 17.00 बीघा यानि 4.301 है. इस प्रकार कुल 43.00 यानि 10.677 है. खातेदारी भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज कागजात है जिसे प्रार्थीगण सहदायी सम्पत्ति बता रहें है मौका पर इस भूमि के 2/4 हिस्से पर प्रार्थीगण शपथ पत्र के माध्यम से अपना कब्जा भी प्राथमिक रूप से सिद्ध कर रहे है, अधिकारों के स्पष्ट निरूपण से पूर्व यदि वादग्रस्त भूमि हस्तांतरित होगी तो वाद की सम्भावित डिक्री की पालना नहीं हो सकेगी, अप्रार्थी सं. 1 ने भूमि को हस्तांतरित करने की इच्छा अथवा आवश्यकता प्रकट नहीं की है इस अवस्था में भूमि का हस्तांतरण होने पर प्रार्थीगण को अप्रार्थी की अपेक्षा अधिक नुकसान होने की सम्भावना है। प्राकृतिक न्याय सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट हो रहा है। प्रस्तुत न्याय उद्धाहरण इस मामले में पूर्णतया लागू होते है, पूर्व में भी इकतरफा सुनवाई के समय उपरोक्त सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुये ही अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.05.2017 को जारी की गई है जिसमें वर्तमान में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता अप्रार्थी प्रकट नहीं कर पाये है।

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पत्र पाबंध किया जाता है कि वाके चक 39 एम.ओ.डी. के खाता न. 91/89 में 26.00 बीघा यानि 6.376 है. भूमि व खाता न. 92/85 में 17.00 बीघा यानि 4.301 है. इस प्रकार कुल 43.00 यानि 10.677 है. खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के 2/4 हिस्से तक की भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार से भूमि रहन, बैय, खुर्द बुर्द नहीं करें। आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 07.11.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.22 14:21:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: